9/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मामले में 24/11/18 को पेशी नियत थी तथा पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण उपस्थित वकील और स्वयं प्रार्थीगण भी नहीं हो पाने से मामला अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। मूल पत्रावली बहस की स्टेज पर थी इसलिए मामले का निपटारा न्यायहित में गुणावगुण पर होना जरूरी है। चूक को माफ करते हुए मामला पुनः बहाल करने का आदेश फरमावे। वकील अप्रार्थीगण ने आपत्ति करते हुए कहा कि प्रार्थीगण और इनके वकील को अपने मामले में सतर्क रहकर उपस्थिति और पैरवी सुनिश्चित करनी चाहिए। इन्होंने मामले में लापरवाही बरती है अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे/यदि आवेदन स्वीकार किया भी जावे तो cost या किसी शर्त पर किया जावे।
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से तारीख पेशी पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाने की आशंका में अनुपस्थित रही है। न्यायहित में आवेदन इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अपीलांट पक्ष अपने मामले में एक आगे और कोई चूक किये बिना नियमित एवं प्रभावी उपस्थिति और पैरवी सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार मूल अपील सं० 081/2016 पुनः बहाल कर नियमित सुनवाई के प्रक्रम पर रखी जाती है। वकील उभय पक्ष मूल पत्रावली में दि. 25/9/19 को बहस हेतु पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner